बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभागीय कार्यालय परिसर के साफ सफाई हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

8, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना स्थित ऊर्जा विभाग के पूरे परिसर (कक्षो, कोरिडोर, पोर्टिको, बरामदा, शौचालय इत्यादि) की साफ सफाई करने हेतु सफाई क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुभवी प्रतिष्ठानों/संस्थाओं से निर्धारित शर्तो के साथ द्विलिफाफा पद्धति के अन्तर्गत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण

अवधि	:	02.09.2019 से 31.08.2020
निविदा प्रपत्र निर्गत करने की तिथि	:	19.08.2019
निविदा जमा करने की तिथि	:	26.08.2019 को 3:00 बजे अपराह्न तक
तकनीकी बीड खोलने की तिथि	:	26.08.2019 को 4:00 बजे अपराह्न में
वित्तीय बीड खोलने की तिथि	:	तकनीकी बीड पर निर्णय के पश्चात्
निविदा खोलने का स्थान	:	संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग के कार्यालय कक्ष
निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	1000/– (एक हजार) रूपये अप्रत्यर्पणीय

निविदा शर्ते:–

(क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद एवं लिफाफे के उपर भी किस प्रकार की निविदा है स्पष्ट एवं बोल्ड अक्षर में लिखा रहना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा स्वीकृति के उपरांत ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। जिन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा अस्वीकृत की जायगी, उनकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।

अधोहस्ताक्षरी को निविदा की प्राप्ति या खोलने की तिथि को परिवर्तित करने या किसी भी अथवा सभी निविदा को अस्वीकृत/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

1. तकनीकी निविदा की शर्ते:–

(क) तकनीकी निविदा के साथ कार्य अनुभव, आयकर पैन नम्बर एवं पिछले तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए।

(ख) तकनीकी निविदा के साथ GST IN संलग्न होना चाहिए।

(ग) तकनीकी निविदा के साथ संवेदक का आचरण प्रमाण–पत्र जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत हो (छः माह के पूर्व का नहीं) संलग्न होना चाहिए।

(घ) निविदादाता को उनके फर्म/प्रतिष्ठान को किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने के आशय का स्व–शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

कृ०पृ०उ०

2. वित्तीय निविदा की शर्तेः—

वित्तीय निविदा में साफ—सफाई हेतु न्यूनतम 05 (पाँच) सफाई कर्मियों की मजदूरी दर, EPF, ESI एवं सामग्रियों का अलग—अलग मूल्य एवं प्रतिमाह कुल लागत अंकित करना अनिवार्य होगा।

कार्य का विवरणः—

1. कार्यालय कार्य प्रारंभ अर्थात् पूर्वाहन 9:30 बजे के पूर्व तक कार्यालय एवं अन्य स्थलों के सफाई का कार्य संपन्न करना होगा।
2. 9:30 बजे पूर्वाहन से 6:30 बजे अपराह्न तक पाँच सफाई कर्मियों को हमेशा मुस्तैद रहना होगा, ताकि आकस्मिक सफाई की आवश्यकता यदि पड़े तो तदनुसार सफाई कार्य संपन्न किया जा सके। आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में कार्यालय खुलने पर सफाई कर्मी को उपलब्ध रहना होगा।
3. विभाग के द्वारा प्रतिष्ठान को राशि का भुगतान इस शर्त के साथ किया जायेगा कि नियमानुसार करो के कटौती की विवरणी कार्यालय को समय—समय पर उपलब्ध कराना होगा।
4. प्रत्येक दिन कार्यालय के प्रत्येक कक्षों की खिड़कियाँ दरवाजा आदि की डस्टिंग, फर्श की सफाई, बाथरूम की पूर्णरूपेण सफाई तथा सभी पदाधिकारी के कार्यालय कक्षों में रूम फ्रेशनर का छिड़काव करना होगा।
5. बाथरूम स्थित पैन तथा यूरिनल पॉल में फिनाईल की गोली/ऑडोनील का गोली रखना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बाथरूम में साप्ताहिक ऑडोनील की व्यवस्था एवं बाथरूम स्थित Liquid Soap की व्यवस्था करनी होगी। सफाई कार्यो से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित प्रतिष्ठान को करना होगा।
6. परिसर अवस्थित नाले में Bleaching Powder का छिड़काव नियमित रूप से करना होगा।
7. विभाग में मुख्य गेट से वाहन पार्किंग तक के पथ की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
8. सफाई के पूरा कार्य में किसी तरह की लापरवाही की दशा में प्रतिष्ठान को सफाई हेतु दिया हुआ आदेश वापस लेने का एकाधिकार ऊर्जा विभाग के पास होगा।
9. कार्य संतोषप्रद होने के उपरान्त ही राशि का भुगतान प्रतिष्ठान को किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय आदेश रद्द किया जा सकता है।

सरकार के उप सचिव।

D:\Priyanka (Energy deptt., 2019)\AB File\Anil sir